41–(08)–60–2018

पटना में दिनांक–08 नबम्वर, 2018 वृहस्पतिवार को अपराह्न 6:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

1. श्री राजकुमार सिंह, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक की चिकित्सा पर हुए व्यय राशि 10,00,991/– (दस लाख नौ सौ एकानवें) रूपये की जांचोपरांत प्रतिपूर्ति की गई राशि 1,41,993/– (एक लाख एकतालीस हजार नौ सो तिरानवें) रूपये को घटाकर शेष राशि 8,58,998/– (आठ लाख अन्ठावन हजार नौ सो अन्ठानवे) रूपये मात्र के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

2. अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कमजोर वर्ग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य के प्रत्येक जिला (रेल जिला सहित) में 01 (एक) पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध), 01 (एक) आशु सहायक अवर निरीक्षक एवं 01 (एक) चालक सिपाही कुल–132 (एक सौ बत्तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

3. भागलपुर जिलान्तर्गत प्रखंड–सबौर, मौजा–बरारी, थाना संख्या–22 एवं मौजा–फतहपुर, थाना संख्या–23 में अवस्थित भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर के परिसर में उपलब्ध भूमि में से 50 एकड़ सरकारी भूमि (अनुलग्नक–01 के अनुसार) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोसाईटी, भागलपुर को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

4. "नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना", "नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (LWE) "कौशल विकास मिशन" स्कीम के अन्तर्गत अंग्रेजी अनुदेशक का पूर्व से सृजित 109 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए 10 अतिरिक्त नये पद सहित Employability Skills अनुदेशक के राज्य स्कीम के अंतर्गत संचालित औ०प्र० संस्थानों में कुल 119 (एक सौ उन्नीस) नियमित पदों का सृजन के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

5.	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों से दिनांक 25.04.2018 के उपरांत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रति छात्रा रू० 25,000/– (पच्चीस हजार) मात्र की दर से एकमुश्त राशि उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू० 300 (तीन सौ) करोड़ मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	5.	**स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

6.	भवन निर्माण विभाग के कार्यों के सम्यक एवं सुचारू संचालन हेतु गैर योजना मद में कुल ₹1,75,41,768/– (एक करोड़ पचहत्तर लाख इकतालिस हजार सात सौ अड़सठ रूपये) मात्र अनुमानित वार्षिक व्यय पर एक (01) भवन प्रमंडल, उच्च न्यायालय, पटना एवं 01 (एक) विद्युत कार्य प्रमंडल सं०–3, पटना के गठन सहित आवश्यक कुल 30 पदों का सृजन।	6.	**स्वीकृत।**